जमानत आवेदन सं0– 252/26
परवलपुर थाना काण्ड सं0– 226/25

सभी धारायें जमानतीय हैं जो सिर्फ मुकदमा को गंभीर और अजमानतीय बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। उक्त वाद में सह अभियुक्त सोनी देवी का अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 131/26, दिनांक 24/03/2026 को श्रीमान् तृतीए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिलसा, नालन्दा के न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। आवेदक दिनांक 20/04/2026 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा मुख्यतः सूचक एवं उसकी पत्नी को जख्मी करने तथा सूचक की पत्नी के गले से लॉकेट और कानवाली छीनने का आरोप लगाया गया है। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म पत्र के अवलोकन से विदित है कि जख्मी रविन्द्र कुमार को दाहिने कोहनी के पास एक कटा हुआ जख्म पाया गया है तथा कोहनी की हड्डी में अस्थिभंग पाया गया है। जख्मी किन्ता देवी को बांये पैर पर एक साधारण प्रकृति का कटा हुआ जख्म पाया गया है। आवेदक के विरुद्ध पूर्व से एक जमानतीय प्रकृति का आपराधिक इतिहास है। आवेदक दिनांक 20/04/2026 से लगातार न्यायिक हिरासत में है तथा काण्ड में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक द्वारा 10,000/– रु0 के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि (1) दो जमानतदारों में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होगा तथा दूसरा ग्राम समाज का सम्मानित सदस्य होगा (2) काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी या प्रलोभन नहीं देंगे न ही साक्ष्यों से छेड़–छाड़ करेंगे। (3) आवेदक/अभियुक्त को समान प्रकृति के किसी भी अन्य अपराध में आगे संलिप्तता पाए जाने पर आवेदक का बंध पत्र खंडित किया जा सकता है।

(लेखापित एव संशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा

श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
जमानत आवेदन सं0– 252/26
परवलपुर थाना काण्ड सं0– 226/25

जिलेन्द्र कुमार उर्फ नुनु.....आवेदक
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

11/06/2026 काराधीन अभियुक्त (1) जिलेन्द्र कुमार उर्फ नुनु उम्र 29 वर्ष, पिता रामवली गोप, सा0 फतेहपुर, थाना परवलपुर, जिला नालन्दा के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा संचालित किया गया है, जो परवलपुर थाना काण्ड सं0– 226/25, अन्तर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118(2), 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दि0– 20/04/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

सूचक रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 26/10/2025 को समय करीब 02:20 बजे अपराह्न पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिए गए बयान के अनुसार दिनांक 24/10/25 को समय करीब 7:00 बजे शाम अपने घर पर था। सूचक के घर के सामने एक परती जमीन है, जिसके बगल में सूचक का पटिदार सोनी देवी का भी जमीन है। सोनी देवी पति सजीवन प्रसाद अपनी जमीन में घर बनाने के लिए पिलर गाड रही थी। उसमें एक पिलर सूचक की जमीन में बढ़ाकर गाड़ रही थी तो सूचक अपनी छोड़ कर अपनी जमीन में पिलर गाड़ने के लिए बोला। इसी बात को लेकर सोनी देवी सूचक के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करने लगी। जिलेन्द्र कुमार उर्फ नुनु सोनी देवी के पक्ष से अपने हाथ में तलवार लिए आया एवं जान मारने की नियत से एक तलवार सूचक के दाहिने हाथ पर मारा एवं एक तलवार सूचक के गर्दन पर चलाया तो सूचक अपने हाथ से रोक लिया जिससे जिससे गर्दन पर हल्का चोट लगा। गाली–गलौज एवं मारपीट देखकर सूचक की पत्नी किन्ता देवी बीच–बचाव करने आई तो जिलेन्द्र कुमार तलवार की नोक से बायें पैर के पंजा में घोप दिया जिससे पत्नी का पैर जख्मी हो गया एवं सोनी देवी सूचक की पत्नी से उसके गला से लॉकेट निकाला एवं कानवाली ले लिया। गाली–गलौज एवं मारपीट देखकर आस–पास के कुछ ग्रामीण जुटे तो जिलेन्द्र कुमार एवं सोनी देवी जान मारने की धमकी देते हुए वहाँ से भाग गए। उसके बाद सूचक के पिताजी रामवली गोप आए एवं जख्मी हालत में देखकर सूचक एवं उनकी पत्नी किन्ता देवी को इलाज हेतु स्वास्थ्य केन्द्र परवलपुर में भर्ती कराए। वहाँ के चिकित्सक द्वारा सूचक को विशेष इलाज हेतु विम्स अस्पताल पावापुरी रेफर किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालन्दा, बिहार शरीफ या कैम्प कोर्ट हिलसा या प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिलसा, नालन्दा या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध परवलपुर थाना काण्ड सं0– 236/25 दर्ज है, जिसमें जमानत पर है। इसके अलावे कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को उपरोक्त मुकदमा में ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। उक्त मुकदमा के मुदई एवं आवेदक के बीच भूमि विवाद है, जो प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है। मुकदमा में लगाए गए धारा– 118(2) बी0एन0एस0 को छोड़कर